अपीलीय सिविल

माननीय न्यायाधीश प्रेम चंद पंडित के समक्ष

राम काली - अपीलार्थी

बनाम

सोहन लाल आदि - प्रतिवादी

1965 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1015
15 मार्च 1972

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का XXX) - धारा 3(1)(सी)(i), 15, 16 और 18 - विधवा का पुनर्विवाह करना और अपने दूसरे पति की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करना - उसके पहले पति से बच्चे - क्या उसकी मृत्यु के बाद इनको ऐसी संपत्ति पर उत्तराधिकार पाने का अधिकार है।

अभिनिर्धारित, कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15(1) के तहत, बिना वसीयत के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति उसके बेटों और बेटियों को हस्तांतरित हो जाती है, और धारा 16, नियम 1 के आधार पर, वे सभी संपत्ति को एक साथ यानी बराबर शेयरों में ले लेंगे। एक विधवा जो पुनर्विवाह करती है और अपने दूसरे पति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार बनती हैं, तो उसके पहले और दूसरे पति के सभी बच्चे उसके बच्चे ही हैं। उन्हें पूर्णरक्त और अर्धरक्त नहीं माना जा सकता क्योंकि इन अभिव्यक्तियों में अलग-अलग पत्नियों से पैदा हुए बच्चों का संदर्भ है, न कि पतियों से। इसलिए एक विधवा जो पुनर्विवाह करती है और अपने दूसरे पति की संपत्ति में उत्तराधिकार बनती है, उसके पहले पति से उसके बच्चे उसकी मृत्यु के बाद इस संपत्ति में उत्तराधिकारी होने के हकदार होते हैं।

(पैरा 8 और 11)

अपीलीय शक्तियों की वृद्धि के साथ वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, गुड़गांव की अदालत, श्री देव राज खन्ना की डिक्री से नियमित दूसरी अपील, दिनांकित 21 अप्रैल, 1965, में श्री भारत भूषण, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, पलवल, की दिनांक 10 अप्रैल, 1964 की पुष्टि करते हुए, वादी को वाद भूमि के 1/4 हिस्से की सीमा तक वाद भूमि के संयुक्त कब्जे की डिक्री प्रदान की गई और पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ना।
अपीलीय अदालत ने भी पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता एन. सी. जैन।
उत्तरदाताओं की ओर से आर. एस. मित्तल, अधिवक्ता की ओर से आई. एस. बलहारा।

<u>निर्णय</u>

<u>माननीय न्यायाधीश प्रेम चंद पंडित :</u>

निम्नलिखित संक्षिप्त वंशावली-सारणी इस मामले के तथ्यों को समझने में सहायक होगी:—

<u>देवी सिंह</u>	<u>श्रीमती तेजो (देवी सिंह की विधवा) जिसने बंसी नामक के साथ करेवा किया</u>
देवी सिंह और तेजो के पुत्र : सोहन लाल (वादी) **देवी सिंह और तेजो की पुत्री** : सोहन देवी (प्रतिवादी संख्या 2), किशनी (प्रतिवादी संख्या 3)	**तेजो की पुत्री** : श्रीमती राम कली (प्रतिवादी संख्या 1)

(2) तथ्य विवादित नहीं हैं। सोहन लाल, श्रीमती सोहन देवी और किशनी, श्रीमती तेजो से देवी सिंह की संतान हैं। देवी सिंह की मृत्यु के बाद, तेजो ने बंसी नामक व्यक्ति के साथ करेवा का अनुबंध किया। इस विवाह से एक पुत्री श्रीमती रामकली का जन्म हुआ। विवादग्रस्त संपत्ति, जिसकी माप 15 कनाल और 4 मरला है, गाँव बभलपुर, जिला गुड़गांव में स्थित है, स्वीकृति से माना गया कि यह बंसी की थी और उसकी मृत्यु के बाद, तेजो इस पर उत्तराधिकार हुईं। नवंबर, 1963 में, सोहन लाल ने राम कली, सोहन देवी और किशनी के खिलाफ उक्त संपत्ति में 1/4 हिस्सेदारी के संयुक्त कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। उनका अभिकथन था कि संपत्ति उनकी मां तेजो की है और वह इसमें चौथाई हिस्से के हकदार हैं। शेष 3/4 हिस्सा बराबर हिस्से में तीनों प्रतिवादियों का था।

(3) वाद मुख्य रूप से राम काली प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा लड़ा गया था। उसका मामला यह था कि वादी को इस संपत्ति पर उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह देवी सिंह से तेजो का पुत्र था और विवाद में संपत्ति उसके पिता बंसी की थी, और इसलिए, वह अकेली इसकी हकदार थी। जब उसकी मां तेजो ने बंसी के साथ करेवा का अनुबंध किया, तो उसने देवी सिंह के परिवार से अपने सभी संबंध खो दिए।

(4) प्रतिवादी संख्या 2 और 3 वस्तुतः वादी के पक्ष में थे। यह सच है कि लिखित कथन में, उनका मामला यह था कि राम काली तेजो की बेटी नहीं थी, लेकिन बाद में विवाद्यको से पहले बयान में, इस दलील को छोड़ दिया गया और उनके अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि राम काली, श्रीमती तेजो से बंसी सिंह की संतान हैं ।

(5) पार्टियों की दलीलों पर, केवल एक विवाद्यक तय किया गया था, अर्थात्, क्या वादी को मृतक की संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार था और यदि हाँ, तो कितना हिस्सा?

(6) निचली अदालत और निचली अपीलीय अदालत दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादी संपत्ति में 1/4वां हिस्सा पाने का हकदार था और शेष

3/4वां हिस्सा समान शेयरों में प्रतिवादियों का था। इसलिए, मुक़दमे का फैसला सुनाया गया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 रामकली अकेले ही द्वितीय अपील में यहां आये हैं।

(7) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1), इसके बाद जिसे अधिनियम कहा जाता है, महिला हिंदुओं के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम से संबंधित है। इस अनुभाग का प्रासंगिक भाग निम्नलिखित है:

> "निर्वसीयत मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति धारा 16 में निर्धारित नियमों के अनुसार न्यागत होगी, -
> (क) सबसे पहले, बेटे और बेटियों (किसी भी पूर्व मृत बेटे या बेटी के बच्चों सहित) और पति पर;
> * * * * * * * *)"

(8) अधिनियम की धारा 16 उत्तराधिकार के क्रम और एक हिंदू महिला के उत्तराधिकारियों के बीच वितरण का तरीका की बात करती है । जो की निम्नलिखित हैं :

> "धारा 15 में निर्दिष्ट वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम होगा, और उन उत्तराधिकारियों के बीच निर्वसीयत की संपत्ति का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा, अर्थात्:
>
> नियम 1: धारा 15 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों में, एक प्रविष्टि में उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो किसी भी बाद की प्रविष्टि में हैं और एक ही प्रविष्टि में शामिल लोगों को एक साथ लिया जाएगा।"

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस संपत्ति की अंतिम धारक तेजो थी और उसकी मृत्यु बिना वसीयत किए हो गई थी। वादी और प्रतिवादी दोनों उसके बच्चे हैं, यद्यपि अलग-अलग पतियों से। धारा 15(1)(ए) के तहत, उसकी संपत्ति, जब वह बिना वसीयत के मर जाती है, उसके बेटों और बेटियों को हस्तांतरित हो

जाएगी और धारा 16, नियम 1 के आधार पर, वे सभी एक साथ संपत्ति ले लेंगे, यानी, बराबर हिस्सों में।

(9) अब यह आग्रह किया गया है कि संपत्ति निश्चित रूप से तेजो के दूसरे पति बंसी की थी, और राम कली उनकी इकलौती बेटी थी। क्या इस तथ्य से उत्तराधिकार के नियम में कोई फर्क पड़ेगा? राम काली के मामले का समर्थन करने के लिए, अधिनियम की धारा 18 पर आश्रय किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पूर्ण रक्त द्वारा निर्वसीयत से संबंधित उत्तराधिकारियों को अर्धरक्त से संबंधित उत्तराधिकारियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी, यदि रिश्ते की प्रकृति हर दूसरे मामले में समान थी। यह सुझाव दिया गया कि राम काली तेजो से पूर्ण रक्त से संबंधित थी, जबकि वादी और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 उससे अर्धरक्त से संबंधित थे।

(10) यह तर्क सही नहीं है और अधिनियम में दिए गए पूर्ण रक्त और अर्ध-रक्त के अर्थ को नजरअंदाज करता है। इन दोनों अभिव्यक्तियों को धारा 3(1)(सी)(आई) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"" पूर्ण रक्त", अर्ध रक्त" और * * *

(i) दो व्यक्तियों को एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित कहा जाता है जब वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी के वंशज होते हैं, और अर्ध रक्त से जब वे एक सामान्य पूर्वज से लेकिन अलग-अलग पत्नियों के वंशज होते हैं;

* * * * * * * *)"

(11) ये दो अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट रूप से अलग-अलग पत्नियों से पैदा हुए बच्चों के संदर्भ में हैं, न कि पतियों से। मौजूदा मामले में, देवी सिंह और बंसी नाम के दो अलग-अलग पति थे, लेकिन पत्नी एक ही थी और वह तेजो थी। इसलिए, धारा 18 का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। मुल्ला के हिंदू कानून, 13वें संस्करण में पृष्ठ 845 पर धारा 16, नियम 1 और 2 के तहत एक उदाहरण (2) दिया गया है, जो कहता है:

"ए अपने जीवित बेटे एस को छोड़कर मर जाती है, जो उसके पहले पति एच से पैदा हुआ बेटा था; और उसके दूसरे पति H2 से क्रमशः पुत्र S1 और पुत्री D हैं। A को H से संपत्ति विरासत में मिली थी। H से विरासत में मिली संपत्ति सहित उसकी सारी संपत्ति S, S1, D और H2 को एक साथ हस्तांतरित हो जाएगी और वे प्रत्येक एक-चौथाई हिस्सा लेंगे। मामला धारा 15(2) के खंड (बी) द्वारा शासित नहीं होगा क्योंकि ए संतति को छोड़कर मर जाता है।"

यह दृष्टांत वादी द्वारा स्थापित मामले का काफी हद तक समर्थन करता है।

अधिनियम की धारा 15(2)(बी) कहती है:-

"उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, -
(क) * * * * *
(ख) एक हिंदू महिला द्वारा अपने पति या अपने ससुर से विरासत में मिली कोई भी संपत्ति, अनुपस्थिति में या मृतक के किसी बेटे या बेटी (किसी भी पूर्व मृत बेटे या बेटी के बच्चों सहित) पर नहीं होगी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अन्य उत्तराधिकारी उसमें निर्दिष्ट क्रम में, लेकिन पति के उत्तराधिकारियों पर।"

(12) उसमें प्रयुक्त भाषा से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह प्रावधान तभी लागू होगा जब मृतक का कोई बेटा या बेटी न हो, जो कि वर्तमान मामले में स्थिति नहीं है।

(13) मैंने ऊपर जो कहा है, उसके मद्देनजर निचली अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए फैसले को परेशान करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

(14) परिणाम यह है कि यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन इस मामले की परिस्थितियों में, विशेष रूप से जब

शामिल बिंदु किसी भी अधिकार से रहित है, तो मैं पार्टियों को अपनी लागत खुद वहन करने के लिए छोड़ दूंगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर
प्रिशक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़